

कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1415044 दि० 10-07-2014

पत्र सं०-सचलदल-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र -2014-15 / सं० 7

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(सचल दल-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 09 जुलाई, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)

समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा०)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

**विषय : पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर किये जाने वाले
संव्यवहारों में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में जमानत वसूल किये जाने के संबंध में।**

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 25क-परिपत्र-2008/0809100/वाणिज्य कर दिनांक 03.02.09 द्वारा पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा माल के परिवहन के दौरान जांच के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुए इस परिपत्र के प्रस्तर 14 में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर माल के परिवहन के समय पाई गयी अनियमितताओं के संबंध में निम्न प्रकार से जमा वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये :-

" पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त से प्रान्त के अन्दर माल के परिवहन के समय, माल के साथ कोई एक वैध प्रपत्र न पाये जाने पर माल को अभिग्रहीत करते समय देयकर की दो गुनी, अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, जमानत जमा करायी जाएगी। पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त से प्रान्त के बाहर माल का परिवहन करते समय कोई एक वैध प्रपत्र न पाये जाने पर जमानत की धनराशि माल पर देय कर की तीन गुनी अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत जो भी कम हो जमा करायी जाएगी। इसी प्रकार प्रान्त बाहर से प्रान्त के अन्दर बिना आयात घोषणा पत्र अथवा आयात घोषणा पत्र में घोषित माल से भिन्न माल, करापवंचन के उद्देश्य से आयात किये जाने पर जमानत की धनराशि माल पर देयकर के तीन गुना अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, ली जाएगी। "

2- पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या :25क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/0910060/वाणिज्य कर दिनांक 05.11.2009 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05.10.09 को उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद की हुयी बैठक में लिए गये इस निर्णय से अवगत कराया गया कि पंजीकृत व्यापारियों के मामलों में मांगी गयी जमानत की राशि प्रत्येक मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत होगी।

3- शासन द्वारा 30प्र० मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 30प्र० अध्यादेश सं०-4 / 2014 द्वारा धारा 54 की उपधारा (1) के क्रमांक 14 में किए गए संशोधनों के दृष्टिगत प्रान्त बाहर से प्रदेश में माल के अनियमित आयात के परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए पत्र सं०-सचलदल -परिपत्र जमा प्रमाण पत्र - 2014-15/469/वाणिज्य कर दिनांक 5 जून, 2014 द्वारा ऐसे मामलों में जमानत की राशि से संबंधित निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं।

4- शासन द्वारा 30प्र० मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 30प्र० अध्यादेश सं०-4 / 2014 द्वारा धारा 48 की उपधारा (5) में संशोधन करते हुए " ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से

अनधिक " के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक अथवा ऐसे माल के मूल्य पर अधिनियम के अधीन संदेय कर , जो भी अधिक हो " रख दिए गए हैं। अतः शासन के पत्र सं०-604 / 11-2-2014-9(98) / 09 दिनांक 09 जुलाई, 2014 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में प्रान्त बाहर से आयातित माल के संबंध में अनियमितता पाए जाने की दशा में जमानत की राशि में उपरोक्तानुसार किए गए संशोधन के अनुरूप प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहित माल में अनियमितता पाए जाने की दशा में निम्नानुसार जमानत की माँग किए जाने के निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

क- पंजीकृत व्यापारियों से, प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहित माल के परिप्रेक्ष्य में, जमानत जमा कराये जाने से संबंधित निर्देश :

(1) प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहित वस्तु जिसके संबंध में त्रुटिपूर्ण संव्यवहार किया जाना प्रकाश में आया है यदि 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की अनुसूची-II अथवा अनुसूची- III में समाहित है तो माल के मूल्य का 15% जमानत की राशि वसूल की जाएगी।

(2) प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहित वस्तु जिसके संबंध में त्रुटिपूर्ण संव्यवहार किया जाना प्रकाश में आया है यदि 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की अनुसूची-V में समाहित है , तो ऐसे माल पर संदेय कर के दोगुने के बराबर जमानत की राशि वसूल की जाएगी।

(3) प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहित वस्तु जिसके संबंध में त्रुटिपूर्ण संव्यवहार किया जाना प्रकाश में आया है परन्तु यदि 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 के अन्तर्गत कर की दर 40% से अधिक है तो ऐसे माल के संबंध में संदेय कर के बराबर जमानत वसूल की जाएगी।

(4) प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहित वस्तु यदि उपर्युक्त क्रमांक -(1) , (2) तथा (3) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न है तो उसके संबंध में त्रुटिपूर्ण आयात के तथ्य प्रकाश में आने पर माल के मूल्य का 40% जमानत वसूल की जाएगी।

ख- अपंजीकृत व्यापारियों से , प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहित माल के परिप्रेक्ष्य में , जमानत जमा कराए जाने से संबंधित निर्देश :

अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहित माल का त्रुटिपूर्ण आयात किए जाने के तथ्य प्रकाश में आने पर माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40% जो भी अधिक हो जमानत वसूल की जाएगी।

प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर किए जाने वाले संव्यवहारों के परिप्रेक्ष्य में जमानत राशि के संबंध में पूर्व निर्गत आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायें।

उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Mu 9.7.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

प्र०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, 30प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, 30प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)

- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक सँयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, ईसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य/गाजियाबाद।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0(30न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (23) अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (25) श्री हुलास राय सिंहल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) 30प्र0।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
- (30) मर्वेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (34) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (38) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (41) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (42) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (43) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (44) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (46) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (48) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।

- (49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (51) इन्डियन इण्डोएसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- (52) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाउस, आगरा ।
- (54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर प्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (56) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (58) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
- (68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
- (75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
- (76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ ।
- (77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद
- (78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
- (79) अध्यक्ष /महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
- (80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार, सेक्टर 62, नोएडा ।
- (81) राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ